

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 112/2023

GCMS No. : 2023/252

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		श्री ओमप्रकाश पुत्र कालुराम जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नम्बर 08 कुमाणा वास लुनकरनसर बीकानेर मैसर्स बीकानेर मावा भण्डार दुकान नम्बर 19 सुपर मार्केट मीलगेट पाली (मालिक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांक : 20.3.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पूर्व नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 12.03.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी मैसर्स बीकानेर मावा भण्डार दुकान नम्बर 19 सुपर मार्केट मीलगेट पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम ओमप्रकाश बताया एवं स्वयं को दुकान का मनेजर होना बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि एक पीपे में लगभग 15 किलो मीठाई कलाकंद दुध शक्कर से निर्मित आमजन को बेचने के लिए रखा हुई थी, जिसमें मिलावट का शक होने पर सरकारी जांच हेतु मीठाई कलाकंद दुध शक्कर से निर्मित का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर कि जिसके लिए दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर स्वतंत्र गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजूद नही होने से साथ आये आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय हाजा को गवाह बना कर हस्ताक्षर करवाये, जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया कि मीठाई कलाकंद दुध शक्कर से निर्मित का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 02 किलो मीठाई कलाकंद दुध शक्कर से निर्मित वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 650/- रुपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा मीठाई कलाकंद दुध शक्कर से निर्मित को साफ सुखी चार प्लास्टिक चार बराबर भागो में बांटकर नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-1694 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना संख्या आर-1694 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/546/एक्ट/2023/590 दिनांक 22.03.2023 के अनुसार Unsafe पाया गया।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी गयी जिस पर अप्रार्थी ने मीठाई कलाकंद दुध शक्कर से निर्मित के नमुने की जांच पुनः रेफरेल लैब से करवाने का निवेदन किया है। उक्त नमुना वास्ते द्वितीय जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुर भिजवाया गया। निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या FT/AQCL/FSSA(473F)/2023 Date 19-06-2023 के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया मीठाई कलाकंद दुध शक्कर से निर्मित का नमुना क्रमांक आर-1694 Sub standards पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub standards मीठाई कलाकंद दुध शक्कर से निर्मित का उत्पादन एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.03.2023 को अप्रार्थी की दुकान से मीठाई कलाकंद दुध शक्कर से निर्मित वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-1694 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंगन प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की दुकान से वास्ते जांच लिये गये मीठाई कलाकंद दुध, शक्कर से निर्मित का नमुना कोड संख्या आर-1694 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया मीठाई कलाकंद दुध शक्कर से निर्मित का नमुना Unsafe पाया गया जिस पर अप्रार्थी के निवेदन पर द्वितीय जांच हेतु रेफरेल लैब निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुर भिजवाया गया। वहा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त नमुना संख्या आर-1694 अवमानक (Sub-standards) पाया गया जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-standards) मीठाई कलाकंद दुध शक्कर से निर्मित का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25,000/- अक्षरे पच्चीस हजार रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



Link
(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Link
(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली